

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

टावर-2, चतुर्थतल, सिग्नेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार लखनऊ

संख्या-डीजी-चार-101(15)/2019(पदोन्नति)

दिनांक: लखनऊ: जुलाई 16, 2019

आदेश

उपनिरीक्षक ना0पु0 से निरीक्षक ना0पु0 के पद पर प्रोन्नति हेतु मा0 न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के अनुपालन में पुनर्विचार से संबंधित प्रकरणों पर उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति द्वारा दिनांक 08-07-2019 को बैठक का आयोजन करते हुये उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक(नागरिक पुलिस)सेवा नियमावली -2015 यथा संशोधित में निहित निर्देशों के अन्तर्गत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर प्राधिकृत बोर्ड द्वारा निम्नलिखित उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाए जाने एवं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप पुलिस स्थापना बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त उन्हें उनके वर्तमान नियुक्ति के स्थान से उनके नाम के सम्मुख अंकित जोन/इकाई में तत्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित/समायोजित करते हुये उक्त कर्मियों को नवनियुक्त स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है:-

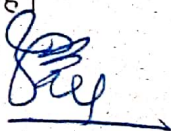
क्र. सं.	पीएनओनं0	नाम	पिता का नाम सर्वश्री	जन्मतिथि	गृह जनपद	वर्तमान तैनाती	प्रस्तावित जोन/ईकाई का नाम	चयन वर्ष
1	822532198	देवेन्द्र कुमार	रामकिशन	21.12.1962	बागपत	सहारनपुर	सहकारिता प्रकोष्ठ	2016
2	962460296	अशोक शुक्ल	राम प्रकाश शुक्ल	20.10.1966	फतेहगढ़	आगरा	आगरा जोन	2017
3	012284232	राजन कुमार	दयाराम भारतीय	02.10.1974	प्रयागराज	कानपुरनगर	कानपुरजोन	2017
4	012640078	सरताज अली	बरकत अली	05.07.1976	पीलीभीत	अलीगढ़	आगरा जोन	2017
5	050890112	विनोद कुमार	गया प्रसाद	25.08.1978	कौशाम्बी	कानपुरनगर	कानपुरजोन	2017
6	890881938	नरेन्द्र कुमार मिश्रा	राजकुमार मिश्रा	10.05.1970	एटा	उन्नाव	लखनऊजोन	2017
7	862466134	प्रेम पाल	श्याम सुन्दर	20.03.1966	मुरादाबाद	बरेली	बरेली जोन	2017
8	860631071	प्रेम सिंह	राजबहादुर सिंह	15.10.1966	कानपुर देहात	हरदोई	लखनऊजोन	2017

2- पदोन्नति पाये उपनिरीक्षकगण अपने नवनियुक्त स्थान पर निरीक्षक ना0पु0 के पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। उक्त निरीक्षकगण कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, जिसे सेवानियमावली के प्राविधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे बढ़ाया जा सकेगा। सफलता पूर्वक परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर सक्षम स्तर से इस हेतु आदेश निर्गत किये जायेंगे। पदोन्नति पाए कर्मियों के वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो संबंधित जनपद/इकाई प्रभारी उन्हें अपने स्तर से सूचित करते हुये नवनियुक्त स्थान पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने हेतु सूचित करेंगे। पदोन्नति प्राप्त निरीक्षकों का यदि जोन/परिक्षेत्र का कार्यकाल पूर्ण हो चुका हो एवं उनके समायोजन में कोई नीतिगत बाधा हो तो उससे इस मुख्यालय को तत्काल अवगत कराया जाए।

3- पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित उपनिरीक्षक से संलग्न प्रारूप(क)में स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या-13/21/89-का-1-1997 दिनांक: 28-5-1997 के खण्ड-2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियाँ:-

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है।

101-2019-.doc



- (ख) यदि कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिए आरोप-पत्र जारी किया जा चुका है।
- (ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात् न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।
- उपरोक्त तीनों परिस्थितियों सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरुद्ध विद्यमान न हों।

4- यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियों विद्यमान नहीं है तो सम्बन्धित उपनिरीक्षक ना0पु0 को निरीक्षक ना0पु0 के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियों विद्यमान पायी जाती हैं तो संबंधित उपनिरीक्षक के पदोन्नति आदेश का क्रियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद व इस मुख्यालय को आख्या उपलब्ध कराते हुये दिशा-निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

5- यदि सम्बन्धित उपनिरीक्षक द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जहाँ पर संबंधित उपनिरीक्षक द्वारा स्वघोषणा-पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथमसूचना रिपोर्ट की प्रतिसहित सम्बन्धित कर्मी को पदावनत किये जाने के संबंध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख पुलिस मुख्यालय व इस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

6- आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट <http://uppolice.gov.in> पर प्रदर्शित की जा रही है। समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक/जनपद/इकाई प्रभारी उक्त आदेश की प्रति अपने स्तर से अपलोड कर पदोन्नति आदेश का क्रियान्वयन तत्काल कराना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन से सर्वसंबंधित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-प्रारूप(क)


(अनिल कुमार)
पुलिस उपाधीक्षक(स्थापना)

कृते-अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना
उ0प्र0, लखनऊ।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।
- 2- अपर पुलिस महानिदेशक, सहकारिता प्रकोष्ठ, उ0प्र0 लखनऊ।
- 3- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक उत्तर प्रदेश।
- 4- पुलिस अधीक्षक, कार्मिक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
- 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद सहारनपुर/आगरा/कानपुरनगर/अलीगढ़ उन्नाव/बरेली एवं हरदोई को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह कृपया उक्त निरीक्षकों को स्थानान्तरण पर तत्काल कार्यमुक्त करते हुये कार्यमुक्त की तिथि से इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि-अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ को उपरोक्त संदर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

स्वघोषणा-पत्र

मैं,----- (नाम/पदनाम व पीएनओ) पुत्र----- निवासी-----
 -----थाना-----जनपद----- वर्तमान में (जनपद/इकाई का नाम)-----
 ----- नियुक्त हूँ तथा घोषित करता हूँ कि :-

(क) “मेरे विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग मा० न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान में निलम्बित हूँ।”

(ख) रिट याचिका संख्या:1645/2015 अरविन्द कुमार व 70 अन्य, 4626/2015 संतोष कुमार वैश्य व 18 अन्य तथा समान प्रकृति की अन्य रिट याचिकाओं में मा० न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अनुपालन में विभाग द्वारा जो भी निर्णय लिया जायेगा, वह मुझे स्वीकार होगा।

2- उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुये मेरे विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

3- यह घोषणा-पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)

नियुक्ति स्थान/दिनांक

यदि सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग मा० न्यायालय में विचाराधीन है अथवा निलम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण उसके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगा:-

- (1) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश/दिनांक तथा कारण -----
- (2) मेरे विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई-----में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक:----- को आरोप-पत्र दिया गया है।
- (3) मेरे विरुद्ध मु०अ०सं०----- धारा-----थाना-----
 जनपद-----में लम्बित है, जिसमें दिनांक:-----को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी-----द्वारा आरोप-पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में-----स्तर पर चल रहा है।

हस्ताक्षर

(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)

नियुक्ति स्थान/दिनांक

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी

नाम/पदनाम की मुहर

नोट:-स्वघोषणा-पत्र में अंकित जो प्रस्तर अथवा उपप्रस्तर लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (X) दिया जाय।